

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 213]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2021 — फाल्गुन 28, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 मार्च 2021

क्रमांक 3979/डी. 46/21-अ/प्रारू./छ. ग./21. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17-03-2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 7 सन् 2021)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) अधिनियम, 2021.

वित्तीय वर्ष 2020-21 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम. 1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) अधिनियम, 2021 कहलाएगा.
- वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए राज्य की संचित निधि में से 5,05,00,00,700 रूपयों का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2021 के अनुसूची स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए 5,05,00,00,700 (पांच सौ पांच करोड़ सात सौ रूपये) रूपये होता है. उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.
- विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)	(3)		
		रू	रू	रू
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 3,81,00,00,000	0	3,81,00,00,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 100	0	100
10	वन	पूंजी 100	0	100
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी 100	0	100
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व 11,70,00,100	0	11,70,00,100
		पूंजी 100	0	100
47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	राजस्व 11,30,00,000	0	11,30,00,000
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व 1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व 1,00,00,000	0	1,00,00,000
71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व 200	0	200
योग	राजस्व	5,05,00,00,400	0	5,05,00,00,400
	पूंजी	300	0	300
वृहद योग		5,05,00,00,700	0	5,05,00,00,700

अटल नगर, दिनांक 19 मार्च 2021

क्रमांक 3979/डी. 46/21-अ/प्रारू./छ. ग./21. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 7 of 2021)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. 1) ACT, 2021.

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2020-2021.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy Second Year of the Republic of India, as follows :-

1. This Act may be called the Chhattisgarh Appropriation (No. 1) Act, 2021. Short title.
2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule, including the sums specified in column (3) of the Schedule of the Chhattisgarh Appropriation Act, 2021, amounting in the aggregate to the sums of Five Hundred Five Crore Seven Hundred Rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2020-2021 in respect of services specified in column (2) of the schedule. Issue of Rs. 5,05,00,00,700 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2020-2021.
3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said financial year. Appropriation.

THE SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

No. of Vote	Services and purposes	Sums not exceeding		Total	
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund		
(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
06	Expenditure pertaining to Finance Department	Revenue	3,81,00,00,000	0	3,81,00,00,000
07	Expenditure pertaining to Commercial Tax Department	Revenue	100	0	100
10	Forest	Capital	100	0	100
24	Public works-roads and bridges	Capital	100	0	100
41	Tribal Areas Sub-plan	Revenue	11,70,00,100	0	11,70,00,100
		Capital	100	0	100
47	Man-Power Planning and Technical Education Department	Revenue	11,30,00,000	0	11,30,00,000
58	Expenditure on Relief on account of natural Calamities and Scarcity	Revenue	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
64	Scheduled Caste Sub Plan	Revenue	1,00,00,000	0	1,00,00,000
71	Electronics and Information Technology Department	Revenue	200	0	200
Total	Revenue	5,05,00,00,400	0	5,05,00,00,400	
	Capital	300	0	300	
Grand Total		5,05,00,00,700	0	5,05,00,00,700	